न्यायालय परगनाधिकारी, एत्मादपुर (आगरा)

वाद संख्या 95 /2003-04

देवेन्द्रकुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0सरकार

अ0धारा- 143 [illegible]

मौजा- धरेरा तह0एत्मादपुर

आदेश 12-4/6/04

श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री आर0एन0गुप्ता निवासी 107/9, किशनगढ़, बसन्तकुंज, नई दिल्ली संस्थापक डा0 आर0एन0गुप्ता टैक्नीकल एजूकेशनल सोसाइटी, एत्मादपुर जिला आगरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा धरेरा तहसील एत्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 620/4 [illegible] 621/0.092, 620/1 रकबा 0.761है0 कुल [illegible] 1.07[illegible] को अकृषिक भूमि घोषित कराने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थी ने शपथपत्र, प्रतिलिपि खतौनी वर्ष 1411-1416फ0 खाता संख्या 114 व 467, [illegible] खसरा वर्ष 1411फ0, छायाप्रति [illegible] प्रमाणपत्र, [illegible] भूमि [illegible] सम्बन्ध, [illegible], छायाप्रति [illegible] भूमि [illegible] के सम्बन्ध में संलग्न किये हैं।

प्रार्थनापत्र की स्थलीय जाँच तहसीलदार, एत्मादपुर से करायी गयी। तहसीलदार, एत्मादपुर की स्थलीय जाँच आख्या दि0 2-6-2004 मय नक्शा, नक्शा पैमाइशी सहित प्रारूप नियम-135 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है।

मेरे द्वारा तहसीलदार, एत्मादपुर की स्थलीय जाँच आख्या एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। मौजा धरेरा तहसील एत्मादपुर स्थित भूमि खाता संख्या 114 गाटा सं0 620/1 रकबा 0.761है0 [illegible] व खाता संख्या 467 गाटा संख्या 620/4 रकबा 0.[illegible]है0 [illegible] [illegible] पर डा0आर0एन0गुप्ता टैक्नीकल एजूकेशनल सोसाइटी, एत्मादपुर द्वारा देवेन्द्रकुमार गुप्ता पुत्र रामनिवास गुप्ता संस्थापक, निवासी 107/9, किशनगढ़, बसन्तकुंज, नई दिल्ली के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि आगरा-फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे स्थित है, जो डा0आर0 एन0 गुप्ता टैक्नीकल एजूकेशन सोसाइटी के अंतर्गत [illegible] से लगी हुई है। प्रश्नगत भूमि का उपयोग [illegible] के [illegible] जा रहा है। तहसीलदार की जाँच आख्या से यह भी स्पष्ट है कि गाटा संख्या 621 राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही में है एवं गाटा संख्या 620/1 के रकबा 0.761है0 में से 0.157है0 भूमि भी राजमार्ग के चौड़ीकरण हेतु अधिग्रहण की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने [illegible] की छायाप्रति एवं [illegible] सम्बन्धी [illegible] से गाटा सं0 620 की पैमाइश में पाया है कि गाटा सं0 620/4 के रकबा 0.818है0 में से 0.507है0 भूमि व गाटा संख्या 620/1 के रकबा 0.761है0 में से रकबा 0.472है0 भूमि मौके पर शेष है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने मौके पर तहसीलदार, एत्मादपुर को बताया कि उक्त गाटा संख्यान में जो भूमि कम हो रही है, वह सड़क चौड़ीकरण के अधिग्रहण में है इसलिए शेष भूमि जो बचती है, उसको धारा-143 के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित कर दी जाये तो उन्हें [illegible]

लायी जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार ने तदनुसार भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है तथा प्रारूप नियम-135 के अंतर्गत [illegible] वत् आख्या प्रस्तुत की है:-

नाम ग्राम	भूमिधरी का नाम वल्दियत व सकूनत	खतौनी खाता संख्या	तालिका कुल क्षेत्रफल (है. में)	मा0गु0	गैरकृषि प्रयोग में लिये जाने वाला भाग याचिका गाटा सं0	क्षेत्रफल	विशिष्ट कृषि प्रयोग जिसके लिए खाता का कोई भाग लाया जाता है
धरेरा	डा. आर0एन0गुप्ता टेक्नीकल एजूकेशनल सोसाइटी, एत्मादपुर द्वारा [illegible] गुप्ता पुत्र [illegible] निवास गुप्ता, सेक्टर पाम नि0 107/9, किशनगढ़, बसन्तकुंज, नई दिल्ली	114	2.859	76-35	620/1	0.472	कॉलेज के खेल के मैदान के उपयोग में है।
धरेरा	---- यथोक्त ----	467	0.910	18-00	620/4	0.507	.. ..

अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार, एत्मादपुर की स्थलीय जाँच आख्या दिनांक 2-6-2004 से संतुष्ट होकर प्रार्थी की ग्राम धरेरा तहसील एत्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 620/1 रकबा 0.4720 मालगुजारी 12-60रुपये सालाना व गाटा संख्या 620/4 रकबा 0.5070 मालगुजारी 10-00रुपये सालाना को धारा- 143 ज0वि0अधिनियम के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित करते हुए भूराजस्व मुक्त किया जाता है। तदनुसार प्रविष्टि जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, एत्मादपुर को निःशुल्क पंजीकरण हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः जून 4, 2004

परगनाधिकारी, एत्मादपुर
(आगरा)

146

न्यायालय प्रगनाधिकारी, एत्मादपुर

Annexure 7 (A)

वाद संख्या 26/2003-04

डा0 आर. एन. गुप्ता टेक्नी. एजू. सोसाइटी, आगरा

बनाम

उ0प्र0सरकार

अ0धारा- 143 ज0वि0अधिनियम

मौजा- धरेरा तहसील-एत्मादपुर।

नकल आदेश दि0 4/6/04

देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामनिवास गुप्ता निवासी बी-395, कमलानगर, आगरा संस्थापक डा0 आर0एन0गुप्ता टेक्नीकल एजूकेशन सोसाइटी, आगरा द्वारा प्रार्थनापत्र अ0धारा- 143 ज0वि0अधिनियम प्रस्तुत कर मौजा धरेरा तहसील एत्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 619/0.680, 624/0.438 625/0.138, 626/0.161, 627/0.300, 628मि/0.127, 629/0.692, 634/0.127, 675मि/0.138है0 कुल किता 9 रकवा 2.098है0 मालगुजारी 64-00रुपये सालाना को अकृषिक भूमि घोषित कराने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थनापत्र के साथ प्रतिलिपि खतौनी वर्ष 1411-1416फ0 खाता सं0 114, प्रतिलिपि खतौनी वर्ष 1405-1410फ0 खाता संख्या 214 एवं प्रतिलिपि खसरा वर्ष 1411फ0 एवं शपथपत्र दाखिल किये गये।

प्रार्थनापत्र पर स्थलीय जाँच आख्या प्रारूप नियम-135 के अंतर्गत नजरीनक्शा सहित तहसीलदार, एत्मादपुर से माँगी गयी। तहसीलदार की स्थलीय जाँच आख्या दि0 1-6-2004 नजरीनक्शा सहित प्रारूप नियम-135 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई।

मेरे द्वारा तहसीलदार, एत्मादपुर की स्थलीय जाँच आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। मौजा धरेरा तहसील एत्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 619/0.680, 624/0.438, 625 रकवा 0.138, 626/0.161, 627/0.300, 628मि/0.127, 629मि/0.692 634/0.127 व 675मि/0.138है0 कुल किता 9 रकवा कुल 2.098है0 मालगुजारी रुपये सालाना खतौनी वर्ष 1411-1416फ0 के खाता सं0 114 पर डा0 आर0एन0टेक्नीकल सोसाइटी, आगरा पं0सं0 154, द्वारा संस्थापक डी0के0 गुप्ता पुत्र रामनिवास निवासी 395, कमलानगर, आगरा के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तहसीलदार की स्थलीय जाँच आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व दखल है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि आगरा-फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे ग्राम धरेरा में स्थित है। तहसीलदार ने यह भी अवगत कराया है कि गाटा सं0 624/0.438है0 में से रकवा 0.104है0 भूमि अधिग्रहण में है तथा गाटा संख्या 629मि/0.692है0 में से 0.324है0 व गाटा संख्या 675मि0/0.138है0 का सम्पूर्ण भाग धारा- 161ज0वि0अधि0 के अंतर्गत विनिमय सम्बन्धी वाद में विचाराधीन होने के कारण कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या 675मि0 में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है तथा कालेज की बाउण्ड्री के बाहर स्थित है। इस प्रकार शेष रकवा भूमि पर कालेज भवन, खेल का मैदान एवं कालेज के अन्य कार्यों में लायी जा रही है। प्रश्नगत भूमि पर मौके पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्य

ATTESTED

Rajendra Kumar Gupta
DISTT. NOTARY
Gazetted Officer, Agra

FOUNDER CUM CHAIRMAN
Dr. R. N. Gupta Technical Educational Society

Scanned with CamScanner

//2//

में कोई फसल/कृषि दर्ज नहीं है। तहसीलदार ने आख्या में यह भी कहा है कि प्रार्थी डी०के० गुप्ता द्वारा भी तदनुसार भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने में अपनी सहमति मौके पर दी गयी है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा तदनुसार भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने की संस्तुति सहित प्रारूप नियम-135 के अंतर्गत निम्नवत आख्या प्रस्तुत की है:-

नाम ग्राम	भूमिधरी का नाम वल्दियत व सकूनत	खतौनी खाता संख्या	खाते का कुल क्षेत्रफल (हे० में)	मा०गु०	गैरकृषिउपयोग मेंलायाजानेवाला भाग या क्षेत्रफल गाटासं०	क्षेत्रफल	विशिष्टकृषि प्रयोग, जिसके लिए खातायाकोईभागकाम मेंलायाजाता है
धरैरा	डा०आर०एन०टैक्नीकल सोसाइटी आगरा पं०सं० 154, द्वारा संस्थापक डी०के०गुप्तापुत्र रामनिवास नि० 395, कमलानगर, आगरा	114	2.859	76-35	619	0.680	प्रश्नगत भूमि में कालेज का भवन, खेलका मैदान आदि निर्मित है।
					624	0.324	
					625	0.138	
					626	0.161	
					627	0.300	
					628मि	0.127	
					629	0.368	
					634	0.127	
					8	2.235है०	

अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार, एत्मादपुर की जाँच आख्या दिनांक 01-6-2004 से संतुष्ट होकर प्रार्थी डा०आर०एन० टैक्नीकल सोसाइटी, आगरा की मौजा धरैरा तहसील एत्मादपुर स्थित भूमि गाटा संख्या 619/0.680, 624/0.324, 625/0.138, 626/0.161, 627/0.300, 628मि/0.127, 629/0.368, 634/0.127है० कुल किता 8 रकबा कुल 2.235है० मालगुजारी 59-70 रुपये सालाना को उ०प्र०ज०वि०एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, की धारा 143 के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित करते हुए भूराजस्व मुक्त किया जाता है। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक, एत्मादपुर को निःशुल्क पंजीयन हेतु भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: जून 4, 2004

परगनाधिकारी, एत्मादपुर
(आगरा)

JUL 2021

ATTESTED

Rajendra Kumar Gupta
DISTT. NOTARY
Gazetted Officer, Agra

FOUNDER CUM CHAIRMAN
Dr. R. N. Gupta Technical Educational Society

Scanned with CamScanner